

FORM NO. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

नाम अदालत जिला कलक्टर अलवर मुकाम अलवर  
उनवान राजाराम बलाई बनाम सरकार जरिये एसएचओ राजगढ़, अलवर  
किरम मुकदमा प्रार्थना-पत्र सुपुर्दगी आर बी एक्ट  
प्रा०पत्र नम्बर 15/106/2025 दायर दिनांक 22.12.2025



हुकम की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
-----------------------------------	---

12.01.2026

पत्रावली आज प्रार्थी वकील के प्रा०पत्र के आधार पर पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पिकअप रजि० संख्या RJ-14-GN-8939 को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत थानाधिकारी थाना राजगढ़ से अभिशंषा/टिप्पणी ली गयी। थानाधिकारी द्वारा पत्रांक 88 दिनांक 06.01.2026 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि प्रकरण हाजा में जप्तशुदा वाहन रजि० संख्या RJ-14-GN-8939 को यदि न्यायालय श्रीमान सुपुर्दगी पर छोड़ता है तो हमे कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस थाना की अभिशंषा के आधार पर जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामे पर दिये जाने हेतु प्रा०पत्र स्वीकार किया जाता है। यदि प्रार्थी 5,00,000/- (शब्देन पांच लाख रुपये मात्र) का सुपुर्दनामा एवं इसी कदर तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश करे तथा जप्तशुदा वाहन यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दनामे पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी सुपुर्दनामे पर दिये गये वाहन को खुर्द-बुर्द नहीं करेगा, जब भी उक्त वाहन की न्यायालय हाजा अथवा अन्य न्यायालय को आवश्यकता होगी तो वाहन को प्रस्तुत करना होगा। इसी अनुसार वकील प्रार्थी द्वारा तस्दीकशुदा सुपुर्दनामा/ जमानतनामा पेश किया। शामिल पत्रावली किया गया। पुलिस थाना थानाधिकारी राजगढ़ जिला अलवर को जप्तशुदा वाहन पिकअप रजि० संख्या RJ-14-GN-8939 को सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दपतर दाखिल हो।

जिला कलक्टर  
जिला कलक्टर  
अलवर (राज०)